



2015 2448-T-15

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.

डॉ. गुलाब समैया उम्र 54 वर्ष बल्द श्री जैनदत्त समैया
निवासी रामपुरा वार्ड, सागर,
जिला सागर म.प्र.

.....रिब्यूकर्ता/आवेदक

// बनाम //

1. महेन्द्र खटीक बल्द स्व.श्री जीवनलाल खटीक
निवासी- सूबेदार वार्ड तह. व जिला सागर म.प्र.
2. महेश साहू बल्द श्री गिरधारी लाल साहू
निवासी- भगतसींग वार्ड तह. व जिला सागर म.प्र.
3. कमलेश साहू बल्द स्व.श्री श्याम बिहारी साहू
निवासी- जवाहरगंज वार्ड सागर तह. व जिला सागर म.प्र.
4. श्रीमति सतेन्द्रजीत मिड्डा पत्नि श्री जगमोहन मिड्डा
निवासी A-J,37 चौथी गली
अन्नानगर चेन्नई तमिलनाडू.

.....अनावेदकगण

पुर्नावलोकन प्रकरण क्र. /15


पुर्नावलोकन तरफ से आवेदकगण अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.

रा.संहिता 1959 (पुर्नोपमान के अन्तर्गत मिड्डा के
वापस)

सम्माननीय न्यायालय द्वारा रिक्वीजन क्रमांक R-2230/I/15 महेन्द्र
खटीक वगैरह विरुद्ध डॉ.गुलाब समैया में पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक
16.7.15 का पुर्नावलोकन प्रस्तुत करता है -

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि पुर्नावलोकन कर्ता/आवेदक ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक
22.5.2015 के द्वारा अनावेदिका क्रमांक-4 श्रीमति सतेन्द्रजीत मिड्डा से
मौजा ग्राम अमावनी प.ह.नं.46 सर्किल सागर स्थित ख.नं. 22 एवं 29 में से
0.40 हेक्टेयर भूमि क्रयकर असल मालकाना व खास कब्जा प्राप्त किया था ।
2. यह कि उक्त विक्रयपत्र के आधार पर विद्वान तहसीलदार सागर
के न्यायालय में नामान्तरण हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया। उक्त नामान्तरण
प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 1 से 3 द्वारा दिनांक 10.7.2015 को एक आवेदन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-10-15	<p>आवेदक डॉ० गुलाब समैया स्वयं उपस्थित । उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि वे इस रिव्यू प्रकरण क्रमांक 2448-एक/15 में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 16-9-15 को स्थगन पारित किया गया है । उन्होंने इसी स्थिति में प्रकरण समाप्त किये जाने का अनुरोध किया । विचारोपरांत आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	